



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022—चैत्र 29, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022

क्र. बी—01—16—2021—2—पांच, (21).—मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 के नियम 8—क, मध्यप्रदेश बीयर एवं मदध नियम, 2002 के नियम 23—क, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 13—क एवं मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 20—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वाणिज्यिकर विभाग की ई—आबकारी व्यवस्था के लिए वेब पोर्टल, जिसका URL <https://eaabkari.mp.gov.in/> है, को अधिकृत वेब पोर्टल के रूप में अनुमोदित करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावशील मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022

क्र. बी—01—16—2021—2—पांच, (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी—01—16—2021—2—पांच (21), दिनांक 19 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है :—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 19th April 2022

No. B -1-16-2021-2-V(21).—In exercise of the powers conferred by Rule 8-A of the Madhya Pradesh Distillery Rules 1995, Rule 23-A of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules 2002, Rule 13-A of Madhya Pradesh Country Spirit Rules 1995 and Rule 20-A of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules 1996, the State Government, hereby, approves the web portal with URL <https://eaabkari.mp.gov.in/> as the official web portal for e-Aabkari System of the Commercial Tax Department.

This notification shall be deemed to be effective from 1st April 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.